दिनांक–14.10.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सहरसा एवं मुंगेर जिले के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   - श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   - श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
   - श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   - श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   - श्री अखिलेश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी
   - श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा एवं मुंगेर जिले द्वारा कुल 17 योजनाओ में से क्रमशः 07 एवं 04 का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर शेष सभी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोक लेखा समिति की सहरसा जिले में वर्ष 2014–15 की 04 तथा मुंगेर जिले में 2015–16 की 02 एवं 2018–19 की 01 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन भी एक सप्ताह के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं मुंगेर)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा जिले में Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, पंचम राज्य वित्त आयोग, 12वॉ वित्त आयोग, ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय एवं किराया उपस्कर, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं बी0आर0जी0एफ0 से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। निदेश दिया गया कि DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

कृ0पृ0उ0

Post CFMS Period में कुल 184.00 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वॉ वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, पंचायत सरकार भवन, प्रतिनिधि भत्ता एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल अनुरक्षण नीति की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ख) मुंगेर जिले में Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, पंचम राज्य वित्त आयोग, ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय एवं किराया उपस्कर एवं बी0आर0जी0एफ0 से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। निदेश दिया गया कि DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

Post CFMS Period में कुल 193.29 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वॉ वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, पंचायत सरकार भवन, प्रतिनिधि भत्ता एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल अनुरक्षण नीति की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं मुंगेर)

III. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा एवं मुंगेर जिले में अद्यतन स्थिति तक क्रमशः कुल 2789 एवं 2107 लक्ष्य के विरूद्ध 2440 एवं 1317 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमे से 2155 एवं 977 लोगो का ही प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सहरसा एवं मुंगेर)

IV. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक सहरसा एवं मुंगेर जिले में क्रमशः कुल 334 एवं 184 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 308 एवं 157 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 12 एवं 02 मामले लंबित है। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

लगातार.....

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं मुंगेर)

V. जन–शिकायत–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा एवं मुंगेर जिले में अद्यतन स्थिति तक क्रमशः 10 एवं 04 मामलों के विरूद्ध 06 एवं 01 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं मुंगेर)

VI. CPGRAM (Central level) की अद्यतन स्थिति–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा एवं मुंगेर जिले में अद्यतन स्थिति तक क्रमशः 02 एवं 04 मामले लंबित है। निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। यह भी पाया गया कि CPGRAM (Central level) में कई माह से लॉग–इन नहीं किया गया है। निदेश दिया कि सप्ताह में एक बार लॉग–इन कर मामलो का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं मुंगेर)

VII. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा जिले में जुन, जुलाई एवं अगस्त 2026 में क्रमशः 35, 01 एवं 01 Aspiration लंबित है। सितम्बर माह में 122 आवेदनो का BPRO द्वारा Mapping ही नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

मुंगेर जिले में जुन, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2026 में क्रमशः कुल 17, 25, 15 एवं 37 Aspirations लंबित है। सितम्बर माह में 12 आवेदनो का BPRO द्वारा Mapping ही नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

निदेश दिया गया कि दो दिनो के भीतर सभी आवेदनो का Mapping करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं मुंगेर)

VIII. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

01. सहरसा– (क) जिले के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल निर्मित 44 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 39 का हस्तांतरण हो चुका है। महीषी, नौहट्टा, पतरघाट, सलखुआ एवं सोनबरसा प्रखंड में 01–01 PSB का हस्तांतरण शेष है।

लगातार.....

निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंड के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 39 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 38 में RTPS केन्द्र, 39 में विद्युत कनेक्शन, 10 में डाकघर, 01 में NOFN एवं 07 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। केवल 12 PSB में सफाई कर्मी–सह–सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। सलखुआ एवं सोनबरसा प्रखंड में एक भी सफाई कर्मी–सह–सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था नहीं है। DPRO को निदेश दिया कि इस संबंध में सलखुआ एवं सोनबरसा प्रखंड के BPRO से स्पष्टीकरण किया जाए। साथ ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी अपने स्तर से पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 44 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 31 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 02 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो पर पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 22 PSB के विरूद्ध 04 PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 04 पंचायतों में प्रथम तल की छत ढलाई एवं 10 पंचायतों में द्वितीय तल की छत ढलाई का ही कार्य किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 14 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से मात्र 01 का निराकरण हुआ है। 02 पंचायतों में चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर है। 07 पंचायतों में चिन्हित भूमि कोशी नदी के बेसिन के अंतर्गत है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में न्यायालय में वाद दायर है, उन पंचायतो में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। जिन पंचायतो में चिन्हित भूमि कोशी नदी के बेसिन के अंतर्गत स्थित है, वहाँ

लगातार.....

पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं किया जाए। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 16 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध TA द्वारा 05 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। TA द्वारा तैयार 05 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध सभी 05 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु मात्र 01 पंचायत में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है।

(ड़) मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक– 14180 दिनांक– 05.10.2026 द्वारा पंचायत सरकार भवनो में सभी पंचायत स्तरीय कर्मियो की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत रूप से दिशा–निर्देश संसूंचित किया गया है। उक्त के आलोक में DPRO को निदेश दिया गया कि सभी पंचायत स्तरीय कर्मियो की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करेंगें एवं वेतन का भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा)

02. मुंगेर– (क) जिले के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल निर्मित 38 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 32 का हस्तांतरण हो चुका है। असरगंज, धरहरा एवं खड़गपुर प्रखंड में 01–01 एवं संग्रामपुर प्रखंड में 03 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंड के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 32 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 32 में RTPS केन्द्र, 33 में विद्युत कनेक्शन, 11 में डाकघर, 06 में NOFN एवं 11 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। केवल 22 पंचायत सरकार भवनों में सफाई कर्मी–सह–सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 38 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 12 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी

लगातार

है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो पर पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 08 PSB के विरूद्ध मात्र 03 PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। चोरगांव पंचायत में प्रथम तल की छत ढलाई तथा धौरी पंचायत में द्वितीय तल लिंटर स्तर का ही कार्य किया गया है। 03 पंचायतों में निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि जो पंचाचत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 10 दिनो के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 14 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से मात्र 06 का ही निराकरण हुआ है। 02 पंचायतों में चिन्हित भूमि दियारा क्षेत्र में होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। 03 पंचायतों में संवेदक द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि DDC एवं DPRO अपने स्तर से संवेदक से समन्वय कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 06 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध किसी भी पंचायत में भूमि उपलब्ध नहीं है। निदेश दिया गया कि यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर)

(ड़) मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक– 14180 दिनांक– 05.10.2026 द्वारा पंचायत सरकार भवनो में सभी पंचायत स्तरीय कर्मियो की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत रूप से दिशा–निर्देश संसूचित किया गया है। उक्त के आलोक में DPRO को निदेश दिया गया कि सभी पंचायत स्तरीय कर्मियो की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करेंगें एवं वेतन का भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर)

लगातार.....

IX. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा जिले में अद्यतन स्थिति तक 135 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 10 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से सभी 10 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा 07 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से 07 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुंगेर जिले में अद्यतन स्थिति तक 96 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 20 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से सभी 20 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा सभी 20 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है परंतु किसी भी पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर)

X. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

01. सहरसा– (क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में 135 पंचायतो के विरूद्ध मात्र 56 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि इस संबंध में सहरसा जिले के सभी BPRO को विभाग स्तर से स्पष्टीकरण किया जाए। साथ ही सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का पुनः सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं प्रशाखा–11)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 14, पंचायत समिति में 06 एवं ग्राम पंचायत में 27 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा)

लगातार.....

02. मुंगेर– (क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में 96 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 08 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि इस संबंध में मुंगेर जिले के सभी BPRO को विभाग स्तर से स्पष्टीकरण किया जाए। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का पुनः सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर एवं प्रशाखा–11)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 02, पंचायत समिति में 04 एवं ग्राम पंचायत में 03 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर)

XI. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगतिः–

01. सहरसा– (क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	51.13%
02	पंचायत समिति	51.90%
03	ग्राम पंचायत	55.29%

पतरघाट प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि कम है। पृच्छा करने पर BPRO ने बताया गया कि BDO द्वारा व्यय एवं भुगतान करने में बाधा उत्पन्न किया जाता है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 707 के विरूद्ध 77, पंचायत समिति में 1275 के विरूद्ध 12 एवं ग्राम पंचायत में 7151 के विरूद्ध 983 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) 15 लाख से उपर जिला परिषद में 01 Scheme ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा–निर्देश का उल्लंघन है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. पतरघाट प्रखंड के BDO से DDC को स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया।

लगातार.....

2. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

3. DDC जिला परिषद में विभागीय क्रियान्वयन किये गये 15 लाख रुपये से ऊपर योजनाओं की जांच कर दोषियो पर कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा)

02. मुंगेर– (क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्रo सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	28.00%
02	पंचायत समिति	43.74%
03	ग्राम पंचायत	62.69%

जमालपुर प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि कम है।

(ख) पिछले 05 वर्षों में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 457 के विरूद्ध 356, पंचायत समिति में 702 के विरूद्ध 22 एवं ग्राम पंचायत में 5541 के विरूद्ध 422 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(ग) 15 लाख से उपर जिला परिषद में 01 Scheme ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा–निर्देश का उल्लंघन है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. जमालपुर प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।

2. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

5. DDC विभागीय क्रियान्वयन किये गये 15 लाख रुपये से ऊपर योजनाओं की जांच कर दोषियो पर कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर)

XII. षष्ठम राज्य वित्त–ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–

01. सहरसा– (क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	18.65%

लगातार.....

पंचायत समिति	45.94%
ग्राम पंचायत	35.77%

कहरा प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) बनमा इटहरी, कहरा एवं सतर कटैया प्रखंडों में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है। महीसी प्रखंड के सिरवर वीरवर पंचायत का कोशी नदी के बेसिन में अवस्थित होने के बावजूद भी इस वित्तीय वर्ष में 59.34% राशि का व्यय हुआ है।

(ग) पिछले 05 वर्षों में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 199 के विरूद्ध 00, पंचायत समिति में 526 के विरूद्ध 00 एवं ग्राम पंचायत में 2130 के विरूद्ध मात्र 02 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 80–85% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. कहरा प्रखंड के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।
2. BPRO शून्य व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें। DPRO महीसी प्रखंड के सिरवर वीरवर पंचायत में व्यय की गयी राशि की जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए तथा विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा)

02. मुंगेर– (क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	40.15%
पंचायत समिति	33.89%
ग्राम पंचायत	32.31%

जमालपुर प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) धरहरा प्रखंड में 04, हवेली खड़गपुर प्रखंड में 02, बरियारपुर, संग्रामपुर एवं तारापुर प्रखंड में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 231 के विरूद्ध 116, पंचायत समिति में 236 के विरूद्ध 59 एवं ग्राम पंचायत में 1404 के विरूद्ध मात्र 436 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 80–85% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. जमालपुर प्रखंड के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।
2. BPRO शून्य व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर)

XIII. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण मे अद्यतन स्थिति तक सहरसा एवं मुंगेर जिले में क्रमशः 5050 एवं 2600 लक्ष्य के विरूद्ध 4090 एवं 2547 लाईटो का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है।

साथ ही सहरसा एवं मुंगेर जिले में CMS पर 72 घंटों से अधिक सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी लाईटो की कुल संख्या क्रमशः 397 एवं 55 है।

(ख)–(1) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा जिले के किसी भी प्रखंड में एजेंसी द्वारा Bill Submit नहीं किया गया है। पृच्छा करने पर DPRO एवं BPRO द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। प्रतीत होता है कि सहरसा जिले के DPRO एवं BPRO द्वारा एजेंसी को भुगतान करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

(2) चतुर्थ चरण में मुंगेर जिले के लगभग सभी प्रखंडो में एजेंसी को किया गया भुगतान संतोषजनक है।

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा में 96% एवं मुंगेर जिले में 100% मामलो का निष्पादन हो चुका है।

लगातार.....

(ग) दिनांक– 01.01.2026 से 12.10.2026 तक पंचायत सचिवो के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा एवं मुंगेर जिले में क्रमशः 87% एवं 89% सोलर लाईट ON पाई गयी है।

साथ ही यह भी पाया गया कि सहरसा एवं मुंगेर जिले में क्रमशः 03 एवं 02 प्रखंडों के BPRO द्वारा सोलर लाईट का निरीक्षण नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. DPRO को निदेश दिया गया कि एजेंसी से समन्वय कर यथाशीघ्र 100% लाईटो का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करें।

एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाईट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।

2. (i) सहरसा जिले के DPRO एवं सभी BPRO को विभाग स्तर से स्पष्टीकरण किया जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं JICR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।

3. पंचायत सचिव के द्वारा सहरसा एवं मुंगेर जिले में Inspection में OFF पाई गयी लाईटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

सहरसा जिले के कहरा, सतर कटैया एवं सोनबरसा तथा मुंगेर जिले के धरहरा एवं संग्रामपुर प्रखंडो के BPRO को विभाग स्तर से स्पष्टीकरण किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं मुंगेर एवं प्रशाखा–11)

XIV. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा एवं मुंगेर जिले में जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–9164 दिनांक– 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं मुंगेर)

XV. लंबित न्यायिक वाद :–

मुंगेर जिले में 03 CWJC एवं 02 MJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर एवं प्रशाखा–9)

लगातार.....

XVI. e- GRAM KACHAHARI :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा एवं मुंगेर जिले में प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं मुंगेर)

XVII. विधान सभा/परिषद–

सहरसा एवं मुंगेर जिले में क्रमशः 03 एवं 06 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं मुंगेर एवं प्रशाखा–09)

XVIII. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। सहरसा एवं मुंगेर जिले में भी क्रमशः 35 एवं 24 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं मुंगेर)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

30/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/15594**/पं०रा० पटना, दिनांक** 3/11/**2026**

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, सहरसा एवं मुंगेर/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सहरसा एवं मुंगेर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं मुंगेर/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/11/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

लगातार.....

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/5594/पं०रा० पटना, दिनांक 3/11/2026

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/11/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/5594/पं०रा० पटना, दिनांक 3/11/2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2/11/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी